

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, फरवरी 28, 1980/फाल्गुन 9, 1901
No. 46] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 1980/PHALGUNA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधीनस्थ

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1980

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 67 (अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1982 (1982 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 186-सीमा-शुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1979 के अधीनस्थ करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लांकाहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की द्वितीय अनुसूची के शीर्ष सं. 1 के अन्तर्गत आने वाली तात्क्षणिक कॉफी (इंस्टैंट कॉफी

कई, जब उसका निर्यात भारत से बाहर किया जाए, उक्त द्वितीय अनुसूची के अधीन उस पर उद्घाटनीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देती है।

2- यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1980, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक प्रवृत्त रहेगी।

[सं. 19/फा. सं. एस. 16/78-टी. आर. यू.]

जी. के. पिल्लै, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1980

CUSTOMS

G.S.R. 67(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 186-Customs dated the 1st September, 1979, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Instant Coffee, falling under Heading No. 1 of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1980.

[No. 19/F. No. S. 16/78-TRU]

G. K. PILLAI, Under Secy.